न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 106/2024

श्रीमती नेहा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या. मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी, अलवर।

–आवेदक

बनाम

श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, उम्र 35 वर्ष, (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स जय भवानी मावा भण्डार, ढाणी नई कोठी, ग्रा० हमीरपुर, तह० बानसूर, जिला अलवर निवासी टीबा वाली ढाणी ग्राम हमीरपुर तह० बानसूर, अलवर।

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 30/9/26

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण में परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती नेहा द्वारा न्यायालय हाजा में इस आशय का पेश किया है कि में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.03.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थी और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 02 दिसम्बर 2022 के गजट भाग 1 (ख) के क्रमांक 06 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण, राज० जयपुर के आदेश क्रमांक 6235/22.12.2022 के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर का कार्य क्षेत्र आवंटित किया हुआ है एवं अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है एवं राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 11/04/2012 के गजट भाग 2 (क) के द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदान किया हुआ है। गजट नोटिफिकेशन, क्षेत्राधिकार नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन कार्य क्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

2. यह है कि दिनांक 14.03.2023 को सुबह 11:30 बजे मुस्तगीस बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चौकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जाँच दल के साथ मैसर्स जय भवानी मावा भण्डार, ढाणी नई कोठी, ग्रा० हमीरपुर, तह० बानसूर, जिला अलवर स्थित दुकान पर पहुँची। उक्त समय उक्त स्थल पर विकेता श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री जगदीश प्रसाद स्वयं मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ आमजन को बिक्री वास्ते रखे हुए थे। मैने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन श्री कैलाश एवं श्री केशव कुमार गोयल की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, उम्र 35 वर्ष, निवासी टीबा वाली ढाणी, ग्राम हमीरपुर, तह० बानसूर, अलवर का होना बताया एवं स्वयं को उक्त खाद्य कारोबार का मालिक होना बताया एवं मौके पर विक्रेता द्वारा स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञा पत्र होना दिखाया एवं छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह है कि उक्त स्थल निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान दुकान में रखी पांच कैनो में करीब 200 लीटर मिश्रित दूध आमजन को बिक्री वास्ते रखे में मिलावट का शक होने पर गवाहन श्री कैलाश एवं श्री केशय कुमार गोयल की उपस्थिति में विक्रेता श्री सुरेश चन्द को जरिये फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन को हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है) सूचित करते हुए उक्त मिश्रित दूध में से 2 लीटर मिश्रित दूध वास्ते नमूना जाँच हेतु एक साफ सुखी एवं खाली स्टील की ट्रे में क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता की 120/– (अक्षरे एक सौ बीस रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 2 लीटर मिश्रित दूध को हिला मिलाकर विक्रेता एवं गवाहान की चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा मिश्रित दूध को प्रत्येक बोतल में बराबर भरकर प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंद डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया।

लेबल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाकर प्रत्येक बोतल को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. बी–20432 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों बोतलों पर नीचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया।

5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढ़ाकर सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
6. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की एक सील्ड बोतल मय फार्म नं० 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक, अलवर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह है कि नमूने की दो सील्ड बोतल (द्वितिय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सील्ड बोतल (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं06 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह है कि उक्त मिश्रित दूध के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक '442 दिनांक 25.04.2023 द्वारा भिजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं त्वास्थ्य अधिकारी अलवर को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होने प्रकरण के समस्त दस्तानेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्रांक 943/3.11.23 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. यह है कि उक्त अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) मिश्रित दूध की बिक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में वर्णित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।
11. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को रजिस्डर्ड नोटिस जारी किये गये। बाद तामिल अप्रार्थी की ओर

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बह...)

से अधिवक्ता श्री कुलदीप बायला एवं अजीत कुमार आर्य द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता को जबाब हेतु अनेक अवसर दिये गये इसके बावजूद भी ना तो जबाब पेश किया ना ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये इसलिए अप्रार्थी की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

12. प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित सरकार पैरोकार की बहस सुनी गई। बहस पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अवमानक खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का विक्रय करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है इसलिए अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में दण्डित किया जावें।

13. पत्रावली पर पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्राथी/अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का विक्रय/निर्माण कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अप्रार्थी की ओर से इस संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नही हुये है, जिससे यह साबित हो सके कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो एवं अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुये। अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, उम्र 35 वर्ष, (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स जय भवानी मावा भण्डार, ढाणी नई कोठी, ग्रा० हमीरपुर, तह० बानसूर, जिला अलवर निवासी टीबा वाली ढाणी ग्राम हमीरपुर तह० बानसूर, अलवर पर .... 25000/- पच्चीस हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 30/01/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अति. जिला कलक्टर
एवं
(कोटपूतली-बहरोड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली